OPEN ACCESS

Int. Jr. of Contemp. Res. in Multi. *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 3 [Jul- Aug] Year 2025*

Research Article

प्राचीनकाल से स्वतंत्रता पूर्व भारतीय पुलिस व्यवस्था

डॉ.यशवंतराज
गेस्ट फैकल्टी विद्या संबल योजना राजकीय महाविद्यालय पीपाड़ शहर

Corresponding Author: डॉ.यशवंतराज *

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15873930

सारांश

यह शोध लेख भारत में प्राचीन काल से मुगल काल तक की पुलिस व्यवस्था के ऐतिहासिक विकास का विश्लेषण करता है। वैदिक काल में समाज में अपराधों की उपस्थिति एवं राज्य द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर मौर्य, गुप्त, हर्षकाल, सल्तनत एवं मुगल काल तक पुलिस व्यवस्था विभिन्न रूपों में विद्यमान रही। मध्यकाल में कोतवाल, शिकदार, फौजदार, थानेदार जैसे पदों के माध्यम से नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था चलाई जाती थी। मुगल शासन के दौरान प्रशासनिक प्रणाली अधिक संगठित हुई और पुलिस व्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया। मुगल शासन की यह व्यवस्था औपनिवेशिक काल में भी अंग्रेजों द्वारा आंशिक रूप से अपनाई गई। इस अध्ययन का उद्देश्य प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य से लेकर औपनिवेशिक काल तक पुलिस व्यवस्था की ऐतिहासिक निरंतरता एवं परिवर्तन को समझना है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2583-7397
- **Received:** 09-06-2025
- **Accepted:** 15-06-2025
- **Published:** 30-06-2025
- **IJCRM:**4(3); 2025: 572-577
- **©2025, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

डॉ. यशवंतराज. प्राचीनकाल से स्वतंत्रता पूर्व भारतीय पुलिस व्यवस्था. Int J Contemp Res Multidiscip. 2025;4(3):572–577.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: राजपूताना, अर्थशास्त्र, रक्षिण, पुलिंसिंग, कोतवाल, थाने, चोकियां, फौजदार, कोतवाल, पौर, पुन्निस तारीख-ए-हिन्द, कोतवाल, शिकदार काजी, थानेदार फरें-इजीदी, वजीर, सूबेदार, सूबा, सरकार, फौजदार, सावन्ध निगार, कुफला नवीस।

प्रस्तावना

पुलिस एवं पुलिसिंग व्यवस्था का उल्लेख भारत में प्राचीन काल से मिलता है। किन्तु आधुनिक काल में आधुनिक पुलिस व्यवस्था विकसित करने का दावा अंग्रेजों एवं अनेक विद्वानों द्वारा ब्रिटिश काल में किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ में एतिहासिक रूप से बहुत पहले से ही भारतीय शैली की पुलिस प्रणाली थी। जिस पर मध्यकाल में तुर्क-मुगल शासन का भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। प्राचीन काल से ही भारतीय शासन व्यवस्था में पुलिस व्यवस्था का उल्लेख आता है, किन्तु ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया में तुर्क, अफगान, मुगल एवं ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव भारतीय शासन व्यवस्था पर पड़ता रहा।

© 2025 डॉ.यशवंतराज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्राचीन भारत में पुलिस व्यवस्था

भारत में पुलिस का इतिहास ऐतिहासिक काल से ही प्रारम्भ हुआ देखा जा सकता है। वैदिक कालीन सामाजिक विकास के अन्तर्गत समाज ने अपराध होने के उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलते हैं। भारतीय इतिहास के प्रथम स्मृति मनुस्मृति में जानपदकम का उल्लेख किया गया है। जिसके अनुसार राजकीय व्यवस्था के विरूद्ध किया गया कार्य अवैध था। जिस प्रकार वर्तमान में राज्य के ओर से नगर पालिकाओं को अनुदान दिया जाता हैं उसी प्रकार जनपद को अनुग्रह दान देने के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन भारत के मौर्योत्तरकालीन स्मृति ग्रन्थ या याज्ञवल्क्य के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क ने अपने ग्रन्थ अपरार्क चन्द्रिका में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्र के आचार के विरूद्ध पौर नहीं हो सकता। प्राचीन औपनिषदिक चिन्तन में पुरुष को आत्मा कहा गया है एवं प्राणी रूपी पुर में शयन करने वाले को पुरुष कहा गया है। संस्कृत में पुरुष का अर्थ अधिकारी भी बताया गया है। ईसा पूर्व शताब्धियों में श्पौरूषश् शब्द का अपभ्रंश भाषा में रूपान्तरण में श्पुन्निसश् में हो गया मौर्य काल में अशोक द्वारा पुरुष एवं पुन्निस दोनो शब्दावलियों का उल्लेख मिलता है। पुन्निस का कार्य प्रजा से धर्म कार्य करवाना अर्थात पाप अपराध न होने देना अपने राज्यारोहण के 26 वें वर्ष जो आज्ञा प्रसारित की जिसमें पुलिस स्पष्ट प्रयोग मिलता है। 5 अभिलेखों में पुलिस को अधिकार दिया गया है यदि उसका प्रधान अधिकारी राजाज्ञा पालन न करें तो वह अपने प्रधान का आदेश न मानकर राजा के आदेश के अनुसार आचरण करे। अशोक के अभिलेख में पुन्निस नामक अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि वह मृत्युदण्ड प्राप्त अपराधियों को दण्ड मिलने के तीन दिन पूर्व सूचित कर दे ताकि वे अपने ईश्वर को याद कर अपने पाप की क्षमा माँग लें।

प्राचीन भारत के दो महत्वपूर्ण विद्वानों पतंजलि एवं पाणिनी दोनों नें राजधानी के लिए इन दोनो शब्दों का प्रयोग किया हैं कहीं-कहीं इसका आशय ग्राम से भी रहा। पाणिनी के अनुसार जिस स्थान पर लोग एकत्रित हो वह निगम कहलाता है। बौद्ध जातको में भी निगम शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ नगर पालिका अथवा पचांयत से सम्बधित है। बाल्मिकी रामायण पौर जनपद शब्दावली का उल्लेख मिलता है।

कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र एवं पुलिस व्यवस्था

प्राचीन भारत में कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र राजनीतिक प्रशासनिक चिन्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने पुलिस व्यवस्था का उल्लेख आधुनिक पुलिस व्यवस्था के समान पृथक रूप से नहीं मिलता है। किन्तु पुलिस प्रणाली के लिए रक्षिण नाम से उल्लेख मिलता है। रक्षिण आधुलिक कॉन्सटेबल की भाँति होते थे जो कि आन्तरिक शान्ति एवं व्यवस्था बनाने में नगर अधिकारी नागरक की सहायता करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत धर्मस्थीय (दीवानी मामले) एवं कण्टकशोधन (फौजदारी मामले) दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यावहारिक कहलाते थे एवं कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायाधीशों की संज्ञा प्रदेष्टा थी। धर्मस्थीय न्यायालयों से सम्बधित वादों में व्यवहार स्थापना (व्यक्ति या व्यक्ति समूहो के बीच आपस के व्यवहार द्वारा उत्पन्न वाद) स्त्रीधन कल्प (स्त्री धन से सम्बधित वाद), विवाह सम्बधी विवाद, उत्तराधिकारी सम्बधि विवाद, गृहवास्तुकम (खेत बाग जलाशय पुल आदि से सम्बधित विवाद) ऋणादनम् (महाजन एवं कर्जदार से सम्बधित विवाद), दासो से सम्बधित मामले, श्रेणियों से सम्बधित मामले, क्रय विक्रय के मामले, साहस, चोरी डाके लूट सम्बधित मामले जुए सम्बधित मामले आदि सम्मिलित रहे। कन्टकशोधक न्यायालय के अन्त्रगत शिल्पियों एवं कारिगरों की रक्षा व्यापारियो की रक्षा, प्राकृतिक विपत्तियों से निवारण, गैर कानूनी उपायों से आजीविका चलाने वालो से रक्षा, मृतदेह की परीक्षा, कन्याओं के साथ बलात्कार आदि सम्मलित रहें।

सामन्तवाद एवं पुलिस व्यवस्था

प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्योत्तरकाल एवं इसके उपरान्त सामन्तवाद का उत्कर्ष हुआ। सामन्तवाद का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विविध राज्यों की राजव्यवस्थाओं एवं पुलिस व्यवस्था पर पड़ा। इन सामंतो द्वारा ही पुलिंसिंग का कार्य किया जाता था। गुप्तों के उपरान्त का कार्य ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से गुप्तोत्तर काल (लगभग 600 से 650 ईस्वी) कहलाता है।

इस काल में हर्ष का साम्राज्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था अत्यन्त महत्वपूर्ण रही। अभिलेखों में पुलिस कर्मियों के लिए चाटभाट शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है। अपराधों के अनुसन्धानों का कार्य इन्ही अधिकारियों द्वारा किया जाता था। हर्ष के शासन काल में युवान च्वांग नामक चीनी यात्री भारत आया। वाई ली द्वारा सम्पादित उसके ग्रन्थ सीयूकी में हर्षकालीन पुलिस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वह कहता है कि राज कर्मचारी प्रजा को कष्ट नहीं देते थे एवं राज्य में शान्ति थी। उल्लेखनीय है युवान च्वांग अपनी यात्रा के दौरान हर्ष के साम्राज्य में तीन बार लूटा गया। इसलिए युवान च्वांग के वृत्तान्त में हर्ष के प्रति कुछ चाटुकारिता भी प्रतीत होती है। किन्तु यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इतिहास के किसी भी सामन्ती युग में सामन्तो के विद्रोह होना, उनके द्वारा कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ा करना इतिहास की सामान्य प्रवृत्तियां रही हैं।

मध्यकालीन भारतीय पुलिस हिंदू एवं इस्लामी अन्तः क्रिया भारतीय इतिहास एवं सस्कृति के ऐतिहासिक काल विभाजन की दृष्टि से 1200 ई. से अठारवीं शताब्दी तक के मध्य का काल मध्य काल कहलाता है। सम्पूर्ण मध्य काल को ऐतिहासिक विकास के क्रम में उत्तरोत्तर रूप से तुर्क-अफगान काल (सल्तनत काल) एवं मुगल काल में विभाजित किया जाता है। पूर्व मध्यकाल तक भारत में राजव्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से सामन्तवादी प्रवृतियां विद्यमान रहीं। इन प्रवृतियों मे बहुराज्यीय व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का कमजोर हो जाना, विकेन्द्रीकरण, सामन्तो के हाथों में पुलिस एवं प्रशासनिक शक्तियां निहित हो जाना आदि महत्वपूर्ण रहीं। अलबरूनी कृत तारीख-ए-हिन्द में इस काल के प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विशद उल्लेख मिलता है। 11वीं 12वीं शताब्दी में तुर्कों के उत्तर भारत के अनेक श्रेत्रों में श्रृखंलाबद्ध रूप से आक्रमण हुए जिन्होने परम्परागत भारतीय राजनीतिक-प्रशासनिक ढाँचे को प्रभावित किया। इन आक्रमणों के साथ ही भारतीय राजव्यवस्था के अन्तर्गत विकसित जनपद, पुर, ग्राम नगर-पंचायत जैसी संस्थाए भी क्षीण होने लगी। इस प्रकिया में परम्परागत पुलिस संगठन भी क्षीण होने लगा क्योंकि मुहम्मद गोरी एवं उसके उत्तराधिकारियों ने दिल्ली एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में जो सल्तनत स्थापित की उस राज्य की प्रकृति सैन्य प्रकार की रही। इस कारण सभी सेवाएं सैन्य अधिकारियों द्वारा सम्पादित की जाने लगी ।

© 2025 डॉ.यशवंतराज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सुलतान इल्तुतमिश (1212-1236) द्वारा साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक नियन्त्रण एवं राजस्व संकलन के लिए सुसगंठित एवं सुपरिभाषित रूप से इक्ता व्यवस्था प्रारम्भ की। इक्ता (हस्तानंतरित भूमि क्षेत्र) के प्रशासक सैन्य अधिकारी ही होते थे वे इक्तेदार कहलाते थे, इन्हें पुलिस अधिकारी भी प्राप्त थे। सुल्तान बलबन (1266-1286) द्वारा दिल्ली सल्तनत में आरिज ए मुमालिक नामक सैनिक अधिकारी के नेतृत्व में दीवान ए अर्ज नामक सैन्य विभाग स्थापित किया गया। इस प्रकिया में पुलिस का कार्य भी सेना के जिम्मे ही रखा गया। बलबन के उपरान्त कानून एवं व्यवस्था की स्थति एक बार पुनः बिगड़ने लगी चारों ओर अराजकता लूटमार एवं उपद्रव होने लगे। अलाउद्दीन खिलजी (1296-1316) द्वारा एक बार पुनः सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई । लगभग इसी काल में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा नगरों की व्यवस्था के लिए कोतवाल पद का विकास किया गया। यह इस काल का अत्यन्त महत्वपूर्ण ओहदा होता था। प्रशासनिक दृष्टि से इस काल के कोतवाल को वर्तमान जिला अधिकारी के अनेक अधिकार एवं पुलिस अधीक्षक समस्त अधिकार सम्मिलित रूप से प्राप्त थे। इसी काल में मुहम्मद तुगलक द्वारा पुलिस थाना चैकी नामक पुलिस की संस्थाओं का विकास किया गया ।

कोतवाल: सल्तनतकालीन

सल्तनतकाल में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा सैन्य प्रकृति की राज व्यवस्था के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का विकास किया गया। इस काल में पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत कोतवाल, शिकदार, काजी, थानेदार आदि पदों का संस्थागत रूप से विकास किया गया। सल्तनत काल में बड़े कस्बों एवं शहरों में काजी तैनात किये जाते थे, जिनका संम्बंध न्याय व्यवस्था से था। कोतवाल शब्द की उत्पत्ति को लेकर दो मत है-पहले मत के अनुसार प्राचीन भारत में दुर्गों के अधिकारी कोटपाल से कोतवाल शब्द की उत्पत्ति हुई है। इस मत के अनुसार कोटपाल दो शब्दों कोट तथा पाल से मिलकर बना है। कोट शब्द से तात्पर्य शहर अथवा किले से हैं जबकि पाल शब्द से आशय रक्षक से है अर्थात कोटपाल किले अथवा नगर का रक्षक अथवा अधिकारी था। दूसरे मद के अनुसार कोतवाल शब्द की उत्पत्ति सल्तनत काल में तुर्कों के आगमन के साथ ही हुई कालान्तर में राजधानी प्रान्तों की राजधानी एवं बड़े नगरों के प्रमुख नगरों को कोटपाल कहा जाने लगा। धीरे-धीरे यह पद उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत दोनों में प्रचलित हो गया। थेवैनो गोलकुण्डा के कोतवाल को नगर का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी एवं न्यायाधीश कहता है।

दिल्ली सल्तनत में नगर का कोतवाल काजी के मातहत ही होता था । 1192 वें में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीरात (मेरठ) के दुर्ग पर कोतवाल की नियुक्ति की थी। किन्तु व्यवस्थित रूप से 14 वीं शताब्दी में कोतवाल शब्द प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्यतः प्रचलन में आया। शहर पुलिस के प्रमुख होने के नाते कोतवाल के कार्य थे-नागरिको के जानमाल की रक्षा करना, चोरों और अपराधियों को गिरफ्तार करना, चैकीदारों से रोजाना रिपोर्ट लेना, कीमतों माप-ताल के यन्त्रों व वेष्याओ पर नियन्त्रण रखना, अपराधियों को काजी की अदालत में न्याय के लिये पेश करना तथा काजी द्वारा दी गई सजा को क्रियान्वित कराना भी कोतवाल का ही काम था। दिल्ली सल्तनत में कोतवाल मुख्य रूप से पुलिस अधिकारी था जिसका कार्य नगर एवं निकटवर्ती भागों की सुरक्षा, रात को नगर की गश्त लगाना, मार्गा की सुरक्षा, नागरिको एवं बाहर से आने वालों की सूची रखना आदि उसके प्रमुख कार्य थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय में जियाउद्दीन बरनी के अनुसार उसके स्वयं के चाचा अलाउलमुल्क का दिल्ली का कोतवाल होने का उल्लेख ह जो विविध मुद्दों पर सुल्तान को प्रभावित करता था।

मुगलकालीन पुलिस व्यवस्था एतिहासिक विकास के क्रम में भारतीय इतिहास में 1526 से 18 वीं शताब्दी तक का काल मुगलकाल नाम से अभिहित किया जाता है। मुगलों द्वारा सल्तनतकालीन राजव्यवस्था के विकास क्रम में में एक एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था प्रारम्भ की गई। यद्यपि शासन की प्रकृति की दृष्टि से मुगलकालीन शासन व्यवस्था सल्तनत काल के समान सैनिक प्रकृति की ही रही। किन्तु मुगलों द्वारा राजत्व का दैवीय सिद्धान्त अपनाया गया। इसी आधार मुगल शासको ने स्वयं को सुल्तान के स्थान पर पादशाह कहा। अबुल फजल के अनुसार पादशाह दो शब्दों पाद एवं शाह से बना हैं। पाद से तात्पर्य से है स्थायित्व एवं शाह का अभिप्राय अधिपति से है। अकबर द्वारा राज्य के दैवीय सिद्धान्त के अन्तर्गत 1574 में बंगाल के शासक दाउद के विद्रोह का दमन करने के उपरान्त स्वयं को ईश्वर की प्रतिछाया घोषित किया गया। अबुल फजल के अनुसार राजसत्ता ईश्वर से फूटने वाला तेज एवं विश्व प्रकाशक सूर्य की एक किरण है जिसे फरें-इजीदी (ईश्वर का दैवीय प्रकाश) कहा गया है। दिल्ली के सुल्तानों की तुलना में मुगल सम्राटों ने खलीफा से किसी प्रकार का मान्यता पत्र प्राप्त नहीं किया।

मुगल बादशाहों द्वारा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसमें मुगल एवं भारतीय पुट देने का प्रयास किया। मुगल सम्राट द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था के लिए स्तरीकृत एवं पिरामिडीय व्यवस्था का विकास किया गया। जिसमें सम्राट के उपरान्त सर्वोच्च पद पर वजीर (प्रधानमन्त्री) होता था। विधिवेत्ता अल फखरी के अनुसार वजीर जनता एवं शासक के बीच की कड़ी होता था। इस क्रम में मुगलों द्वारा प्रान्तों (सूबा) में सूबेदार, जिलों (सरकार) में फौजदार एवं परगनों में शिकदार पद का विकास किया गया। सामान्य रूप से राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था तथा पुलिस व्यवस्था से सम्बधित समस्त कार्य इन्ही अधिकारियों द्वारा सम्पादित किया जाता था मुगलकाल में साम्राज्य का विभाजन सूबों में किया गया था। सूबेदार के लिए सरकारी तौर पर सिपहसालार, नाजिम भी कहा जाता था। नाजिम का शाब्दिक अर्थ है व्यवस्थापक। सूबेदार अथवा नाजिम की नियुक्ति मुगल सम्राट के शाही फरमान के द्वारा की जाती थी। सूबेदार की पद की कोई निश्चित अवधि नहीं थी अपितु यह बहुत कुछ प्रशासनिक आवश्यकता एवं सम्राट की इच्छा पर निर्भर करता था। पीटरमुंडी लिखता है कि स्थानीय सूबेदार एक स्थान से दुसरे स्थान को सामान्यतः तीन चार वर्ष में एक बार स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। सूबेदार की प्रमुख जिम्मेदारी शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं न्याय करने की थी वह प्रान्त के प्रमुख प्रशासक की हैसियत से कार्य करता था। प्रशासक के साथ-साथ वह एक सैनिक अधिकारी भी होता था। वह प्रान्त में मुगल सम्राट का प्रतिनिधि होता था ।

सूबेदार प्रान्त में समस्त प्रकार सैन्य प्रबन्धन करने के लिए भी उत्तरदायी होता था एवं सूचना प्राप्त करने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। वह अपने क्षेत्र में जमींदारों से कर वसूली करता था इसके अतिरिक्त सूबेदार के महत्वपूर्ण कार्यों में न्याय प्रशासन का कार्य भी था। न्यायधीश के कार्यों में उसे यह निर्देश दिया जाता था कि वह मुकदमों का यथाशीघ्र निर्णय करे एवं विलम्बकारी तरीकों से जनता को परेशान न करें। न्यायाधीश के रूप में सूबेदार के प्रारम्भिक एवं

© 2025 डॉ.यशवंतराज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अपीलीय दोनों अधिकार थे। साधारणतः प्रारम्भिक मुकदमों में वह अकेला ही निर्णय कर सकता था किन्तु उसे मृत्युदण्ड देने का अधिकार नहीं था ऐसे मुकदमें वह केन्द्रीय न्यायालयों को भेजता था।
नगर के पुलिस अधिकारी के रूप में कोतवाल पद का विकास सल्तनतकाल में ही हो गया था मुगलों द्वारा सभी महत्वपूर्ण नगरों में वहाँ के शासन के लिए एक कोतवाल का प्रावधान किया गया। वह नगर पुलिस का अध्यक्ष, नगर पालिका का प्रशासक, फौजदारी मुकदमों का न्यायाधीश होता था। अकबर काल में कोतवाल के पद एवं कार्यों का वर्णन आईन-ए-अकबरी में मिलता है। नगर की सुव्यवस्था, सुरक्षा एवं शांति के अतिरिक्त राजाज्ञाओं का पालन करवाना उसका प्रमुख कार्य था। वह नगर में आने जाने वालों की सूची रखता एवं ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था करता था। औरंगजेब के काल में आये इतालवी यात्री मनूची ने लिखा है कि कोतवाल जासूसी के लिए मेहतरों का उपयोग करते थे। जो दिन में दो बार सफाई के लिए घरों में जाते थे। कोतवाल को निर्देश थे कि वह कसाई, शिकारियों, शव ढोने वाले एवं मेहतरों को अलग-अलग भागों में बसायें एवं ऐसे संघदिल कुप्रवृत्ति के लोगो के सम्पर्क से प्रजा से बचायें। इसी प्रकार थेवैनो अपने अपने यात्रावर्तान्त में लिखता है कि कोतवाल नगर में घोड़े पर घूमता था। उसके साथ डंडा कोडा (बैटन) तथा अन्य हथियार लिये कई पैदल अधिकारी चलते थे एवं उन्हें बजाते थे, तीसरा एक ताँबे का भोपूं लिये रहता था। वह तीन बार तुरही बजाता और खबरदार कहकर चिल्लाता था उसकी आवाज सुनकर निकट की गलियों के रक्षक भी उसी तरह की आवाज करते थे। मुगल काल में चोरी, डकैती एवं राहजनी प्रमुख अपराध हुआ करते थे। ये अपराध प्रायः ऐसे लोगो द्वारा किये जाते थे जिन्होंने ने इसे अपना पेशा बना लिया था। ऐसे लोगो के साथ कोतवाल एवं प्रशासन द्वारा कठोरता का व्यवहार किया जाता था।
मुगल काल में कोतवाल का अन्य प्रमुख कार्य दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करना भी था । कोतवाल की कचहरी के लिए चबूतरा कहा जाता था एतालवी यात्री मनूची कोतवाल को सम्पूर्ण नगर का शासन करने वाला प्रमुख दण्डाधिकारी बताता है। नगरीय क्षेत्र में पकड़ा जाने वाला अपराधी कोतवाल के सम्मुख पेश किया जाता था। वह प्रारम्भिक जाँच पड़ताल करने के पश्चात इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करता था। ट्रेवरर्नियर के अनुसार कोतवाल का कार्यालय एक प्रकार की चैकी होता था जहाँ दण्डाधिकारी उस स्थान के विवादों पर न्याय करते थे। थेवैनो कहता है कि फौजदारी के मुकदमें कोतवाल के न्यायाधीन होते थे। इस प्रकार मुगल काल में कोतवाल को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। सामान्य रूप से ये अधिकार कतिपय परिवर्तन के साथ 19 वीं सताब्दी तक चलते रहे।

मुगलकाल में आधुनिक काल के समान बंदीग्रहों में दण्डित व्यक्ति को रखने का समुचित प्रबन्ध नहीं था। मुकदमें के दौरान कोतवाल द्वारा कैदियों को रखे जाने का साधरणतः जहाँ प्रबन्ध किया जाता था उसे चबूतरा ए कोतवाली कहा जाता था। जिस दिन मुकदमा होता था, उस दिन कोतवाल कैदियों को काजी की अदालत में भेजने के लिए उत्तरदायी होता था। कैदी को जमानत पर भी छोड़ा जा सकता था कैद की अवधि का भी कोई निश्चित नियम नहीं था। यह बहुत कुछ अदालत एवं अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता था। प्रान्तों में प्रायः जेल संगठन नगण्य सा होता था। प्रायः कोतवाल थानेदार एवं अन्य अधिकारी कैदियों को रखने के लिए उत्तरदायी होते थे। कैदियों के भोजन एवं रहने का प्रबन्ध शासन द्वारा किया जाता था।
मुगलकालीन प्रान्तों (सूबे) को सरकारों (जिले) में विभाजित किया जाता था एवं सरकार महाल या परगनों में विभाजित थे। कई गाँवों का मिलाकर परगना बनाया जाता था। सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी फौजदार होता था। जिसकी नियुक्ति शाही फरमान द्वारा की जाती थी एवं सरकार में सूबेदार का प्रतिनिधि होता था व सूबेदार के निर्देशों में कार्य करता था किन्तु उसके पत्र सम्राट के सम्मुख उपस्थित किये जाते एवं पढ़े जाते थे। फौजदार के कार्य की प्रकृति सैन्य प्रकार की थी वह अपने क्षेत्र में शक्ति एवं सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था।

फौजदार सरकार में प्रशासन पुलिस तथा सैनिकशक्ति का प्रतिनिधि था। वह अपने क्षेत्र में शक्ति तथा सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। शासन एवं सुव्यवस्था स्थापना हेतु उसे आज्ञा दी गई थी कि बागियों एवं विद्रोही सरदारों को दण्ड़ित करने के लिए उनके दुर्ग नष्ट कर दो सड़कों की सुरक्षा रखे। करदाता की रक्षा करे लोहारों को बन्दूके मत बनाने दे। जिन थानेदारों को तुम अपने अधीन नियुक्त करो, उनसे कहो कि वे अपने अपने क्षेत्रों का पूरा-पूरा अधिकार लें, लोगों को उनकी जायज सम्पत्ति से वंचित न करें और वर्जित करा (अबवाबों) को उनसे वसूल न करें। जिले के देहाती इलाकों में सुरक्षा सुव्यवस्था, चोरों, डकैतों तथा अन्य समाज-विरोधी एवं एवं उपद्रवी लोगों का दमन, मार्ग की सुरक्षा, यात्रियों, व्यापारियों की रक्षा इत्यादि का उत्तरदायित्व उसके ऊपर था। इस कार्य के लिए वह योग्य सहायक अधिकारियों को महत्वपूर्ण देहाती इलाकों में नियुक्त करता एवं उनके अधीन आवश्यकतानुसार सैनिक निर्धारित कर देता था। इस प्रकार पुलिस सम्बधित कार्यों में सड़कों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की रक्षा करना, जघन्य अपराधों एवं छोटे बडे विद्रोहों असन्तोष की रोकथाम करना, लुटेरों एवं राहजनों का पीछा कर जनता को सुरक्षा प्रदान करना, अवैध अथियारों के निर्माण को रोकना, पीड़ितों को न्याय देना शान्ति भंग करने वालो को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय भेजना, राजस्व देने वालों की रक्षा करना आदि रहे।
मुगलकाल में प्रत्येक जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने अनेक थाने चोकियां हुआ करती थी। इन थानों का प्रमुख अधिकारी थानेदार कहलाता था। मुगलकाल में सीमान्त क्षेत्रों में कबायली एवं अन्य उपद्रव शासन के लिए चुनौति हुआ करते थे। इस कारण इन भू भागों के शासन के लिए सीमान्त सैनिक चैकियां स्थापित की गई जो थाना कहलाती थी। किन्तु बाद में थाना शब्दावली प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गई। थाने का थानेदार अपने समस्त कार्यों के लिए जिले के फौजदार के प्रति उत्तरदायी था किन्तु थानेदारी की यह व्यवस्था औपचारिक पुलिस प्रबन्धन के अन्तर्गत नहीं थी क्योंकि इसका वेतन मुगल शासन की ओर से नही अपितु जमींदारों से वसूल किया जाता था। फौजदार एवं थानेदार की पुलिसकर्मियों के रूप में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के राजस्व कर्मियों एवं जमींदारों के चैकीदार होते थे वस्तुतः फौजदार का प्रशासनिक क्षेत्र इतना वृहत होता था, कि उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों पुलिस पर नियन्त्रण रख पाना कठिन होता था। मुगल काल में नगरीय क्षेत्रों का पुलिस प्रबन्ध औपचारिक था किन्तु गाँवों की पुलिस प्रकृति अनौपचारिक होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों का पुलिस प्रशासन इन क्षेत्रों के अभिजात्य वर्ग जैसे चैधरी, मुकद्दम आदि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चैकीदार, सीमापाल, गाँव के अन्य कर्मचारियों द्वारा

© 2025 डॉ.यशवंतराज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

किया जाता था। जिन्हें वेतन के बदले गाँव से उपज का एक भाग जीविकोपार्जन हेतु प्राप्त होता था।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध लेख में मेरा उद्देश्य पुलिस व्यवस्था के भारतीय परिप्रेक्ष्य को उजागर करते हुए कम्पनी द्वारा औपनिवेशिक ढांचे के अन्तर्गत किस प्रकार पुलिस व्यवस्था का विकास किया गया। इसका विश्लेषण किया गया है।

सारांश

भारत में वैदिक कालीन सामाजिक विकास के अन्तर्गत समाज ने अपराध होने के उल्लेख तत्कालीन साहित्य में मिलते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र ने पुलिस व्यवस्था का उल्लेख आधुनिक पुलिस व्यवस्था के समान पृथक रूप से नहीं मिलता है। किन्तु पुलिस प्रणाली के लिए रक्षिण नाम से उल्लेख मिलता है। सामन्तवाद का प्रभाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से विविध राज्यों की राजव्यवस्थाओं एवं पुलिस व्यवस्था पर पड़ा। इन सामंतो द्वारा ही पुलिंसिंग का कार्य किया जाता था। मध्य काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नगरों की व्यवस्था के लिए कोतवाल पद का विकास किया गया। मुगल बादशाहों द्वारा दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास करते हुए इसमें मुगल एवं भारतीय पुट देने का प्रयास किया। मुगलकाल में महत्वपूर्ण नगरों में वहाँ के शासन के लिए एक श्कोतवालश् का प्रावधान किया गया। मुगलकाल में प्रत्येक जिले में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने अनेक थाने चोकियां हुआ करती थी। इस प्रकार मुगल काल में शान्ति एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः फौजदार कोतवाल जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता था। भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के उपरान्त भी मुगलो की प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अंग्रेजो की शासन प्रणाली में विद्यमान रहा।

निष्कर्ष

इस प्रकार मुगल काल में शान्ति एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व मुख्यतः फौजदार कोतवाल जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता था। मुगल काल में खूफियां रिपोर्ट लिखे जाने के लिए भी एक वृहत व्यवस्था बनाई गई थी। खुफिया रिपोर्ट बनाने के लिए श्सावन्ध निगार कुफला नवीस जैसे अधिकारी इस कार्य में शासन का सहयोग करते थे। इसके अतिरिक्त गाँव के मुखिया, परगने के शिकदार तथा आमिल आवश्यकता अनुसार पुलिस सम्बन्धित कार्यों में फौजदार एवं कोतवाल की सहायता करते थे। मुगलकालीनै इस पुलिस व्यवस्था का प्रभाव सभी सूबों में स्पष्ट रूप से पड़ा है। राजपूताना क्षेत्र की राजपूत एवं अन्य रियासतों पर मुगलकालीन प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव रहा। भारत में औपनिवेशिक शासन स्थापित होने के उपरान्त भी मुगलो की प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव अंग्रेजो की शासन प्रणाली में विद्यमान रहा।

अंत टिप्पणियां

1. मनु. मनुस्मृति. अध्याय 8, श्लोक 41.
2. खारवेल. हाथीगुफा अभिलेख.
3. शंकराचार्य. शंकर विजय. अध्याय 16.
4. व्यास. भागवत पुराण.
5. अज्ञात लेखक. दिल्ली शिवालक स्तम्भ लेख संख्या 4.
6. वर्मा प. भारतीय पुलिस. वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन; पृ. 2-3.
7. पाणिनि. अष्टाध्यायी. सूत्र 3.3.119.
8. जातक. सब्बे नेगम जानपदे. खंड 1; पृ. 149.
9. वाल्मीकि. रामायण. अयोध्या कांड 2.15.54.
10. सिंह यू. द इंडियन पुलिस जर्नल. 2005; अप्रैल-जून:22.
11. कौटिल्य. अर्थशास्त्र. खंड 4, अध्याय 1.
12. विद्यालंकार स. मौर्य साम्राज्य. वाराणसी: श्री सरस्वती सदन; पृ. 246.
13. विद्यालंकार स. मौर्य साम्राज्य. वाराणसी: श्री सरस्वती सदन; पृ. 246.
14. Moreland W. India at the Death of Akbar. लंदन: मैकमिलन; 1920. पृ. 38.
15. अरुण श. हमारी पुलिस. दिल्ली: सरूप बुक पब्लिशर्स; 2008. पृ. 55.
16. कुरैशी आई. दिल्ली सल्तनत का प्रशासन. दिल्ली: मुंशीराम मनोहरलाल; 1971. पृ. 173.
17. श्रीवास्तव ह. मुगल शासन प्रणाली. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन; पृ. 26-27.
18. अबुल फजल. अकबरनामा. अनुवाद: बेवरिज. खंड 3; पृ. 136.
19. श्रीवास्तव ह. पूर्वोक्त; पृ. 26-27.
20. मुंडी पी. यात्रा वृत्तांत. खंड 2; पृ. 85.
21. श्रीवास्तव आ. अकबर द ग्रेट. खंड 2. दिल्ली: शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी प्रा. लि.; पृ. 128.
22. सरकार जे. मुगल प्रशासन. पृ. 69. शरण. मेडिकल इंडियन हिस्ट्री में अध्ययन. पृ. 104–107.
23. मनूची एन. भारत यात्रा वृत्तांत. खंड 2; पृ. 241.
24. अबुल फजल. आईन-ए-अकबरी. संपादक: जैरेट और सरकार. खंड 2; पृ. 43–45.
25. थेवैना. द इंडियन ट्रैवेल्स ऑफ थेवैना. पृ. 27.
26. मनूची एन. पूर्वोक्त. खंड 2; पृ. 292.
27. ट्रेवर्नियर. ट्रैवेल्स इन इंडिया. पृ. 57. थेवैना. खंड 3; पृ. 19–20. शरण. प्रांतीय सरकार. पृ. 354–55.
28. श्रीवास्तव ह. पूर्वोक्त; पृ. 262–63.
29. अबुल फजल. आईन-ए-अकबरी. संपादक: जैरेट और सरकार. खंड 2; पृ. 41–42. कुरैशी आईएच. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर. पृ. 231. सरकार जे. मुगल प्रशासन. पृ. 64–65.
30. सरकार जे. मुगल प्रशासन. च्वाइस: मुगल स्कॉलर; 2015. पृ. 64–65.
31. श्रीवास्तव आ. अकबर द ग्रेट. खंड 2. दिल्ली: एलएल अभिजीत पब्लिकेशन; 2018. पृ. 131–132.
32. शरण प. प्रांतीय सरकार. न्यूयॉर्क: एशिया पब्लिशिंग हाउस; 1993. पृ. 228–229.

© 2025 डॉ.यशवंतराज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

33. शरण प. पूर्वोक्त; पृ. 243–245.

Creative Commons (CC) License
This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license. This license permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
About the Corresponding Author

© 2025 डॉ.यशवंतराज. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/